

(दि०-12.10.2020)

प्रेस विज्ञप्ति

- 01 देशी पिस्तौल एवं 02 कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार। मद्यनिषेध के कांड में 09 अभियुक्त कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार।
- 04 CAPF (CISF) कम्पनी, 07 SST, 07 FST तथा 23 चेकिंग प्वाइंट पर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है कार्रवाई।
- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक कांड दर्ज।
- बिहार विधान सभा चुनाव-2020 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष एवं स्वच्छ रूप से संपन्न कराने हेतु शिवहर पुलिस पुरी तरह प्रतिबद्ध।

पुलिस अधीक्षक, शिवहर के निर्देशन में आसन्न विधान सभा आम निर्वाचन-2020 को देखते हुए चुनाव के पूर्व तैयारियों एवं माहौल निर्माण हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं सभी थानाध्यक्ष द्वारा जिला में उपलब्ध सी०ए०पी०एफ० बल के साथ स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों एवं बल के साथ तरियानी थाना के मीलागंज, कस्तुरिया, नरवारा, सरबरपुर, सुमहुती, हिरम्मा थाना के हिरम्मा, बेलाही दुल्ला, माघोपुर क्षेत्र में छापामारी की गयी जहाँ से शराब की बरामदगी एवं गिरफ्तारी की गयी।

पुरनहिया थाना के बसंत गढ़वा टोला, अदोरी, बराही जगदीश, पुनर्वास क्षेत्र में छापामारी की गयी जहाँ से एक देशी पिस्तौल एवं 02 कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

श्यामपुर भटहों थाना के माघोपुर सुन्दर, रामपुर केशो, डुमरी, श्यामपुर भटहों थाना क्षेत्र में छापामारी की गयी जहाँ से शराब की बरामदगी एवं गिरफ्तारी की गयी तथा संबंधित क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन एवं पलैंग मार्च किया गया। चुनाव पूर्व विभिन्न तरह की कार्रवाई एवं गतिविधि हेतु जिला में प्रतिनियुक्त चार कम्पनी सी०ए०पी०एफ० बल के साथ अन्य स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों एवं बल द्वारा एरिया डोमिनेशन, पलैंग मार्च, वाहन चेकिंग, वांछितों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी एवं मद्यनिषेध हेतु छापामारी कराया जा रहा है। भेदता क्षेत्रों में भ्रमण कर भेदय तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई एवं आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने के लिए इन क्षेत्रों में लगातार भ्रमण की जा रही है।

मद्यनिषेध अभियान, अपराधकर्मी/वांछित के विरुद्ध छापामारी एवं वाहन चेकिंग कराई गयी जिसका फलाफल निम्न प्रकार है:-

गिरफ्तारी एवं बरामदगी विवरणी (दिनांक-11.10.2020)

- कुल गिरफ्तारी-10
- शराब कारोबारियों/शराबियों की गिरफ्तारी:-09
- अन्य कांड में गिरफ्तारी-01
- आग्नेयास्त्र- 01 देशी पिस्तौल एवं 02 कारतूस
- शराब की बरामदगी:-37 लीटर शराब बरामद
- वाहन चेकिंग एवं फाईन-62 वाहन से 35,500/-फाईन किया गया।
- आदर्श आचार संहिता (MCC)का उल्लंघन के मामले एक कांड दर्ज किया गया।

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में शिवहर थाना में अचलाधिकारी, शिवहर के आवेदन पर विना किसी पूर्व अनुमति के सैकड़ों समर्थकों के साथ 100 से 150 वाहनों के काफिला के साथ जुलूस निकालने के आरोप में जाप पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है।

विधान सभा निर्वाचन 2020 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष एवं स्वच्छ रूप से संपन्न कराने हेतु जिला में बनाए गए कुल (23) तेईस स्थान पर चेक पोस्ट/नका पर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी के साथ बल की प्रतिनियुक्ति कर सघन चेकिंग की जा रही है।

इसके अतिरिक्त बिहार विधान सभा निर्वाचन के आलोक में गठित 07 स्टैथिक सर्विलांस टीम (एस०एस०टी०) एवं 07 पलाईंग स्कोड टीम (एफ०एस०टी०) के द्वारा लगातार जाँच/कार्रवाई की जा रही है।

आगामी विधान सभा निर्वाचन 2020 को भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु शिवहर जिला पुलिस पुरी तरह प्रतिबद्ध है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात प्रकाश में आने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

आम मतदाताओं से अपील पुनः है कि निष्पक्ष, निर्भिक एवं भयमुक्त होकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। कोविड-19 को देखते हुए जारी दिशा-निर्देश का पालन करें। किसी के प्रलोभन या भय में नहीं आए एवं जो प्रलोभन देते हैं या भय दिखाते हैं उसके संबंध में शिवहर पुलिस के नियंत्रण कक्ष को दूरभाष नं०-06222-257344 पर सूचित कर सकते हैं या जिला निर्वाचन कार्यालय के वोटर हेल्प लाईन Toll Free No- 1950 पर सूचित कर सकते हैं।

“शिवहर पुलिस निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं सुरक्षित चुनाव कराने हेतु लगातार प्रयासरत एवं कृत संकल्पित है।”

आपकी सेवा में सदैव तत्पर..

शिवहर पुलिस०









